न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 85/2019

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. रूघाराम पुत्र स्व0 खींयाराम 2. भंवरलाल पुत्र स्व0 खींयाराम 3. अनोपाराम पुत्र स्व0 खींयाराम 4. खमाराम पुत्र स्व0 खींयाराम 5. चूनाराम पुत्र स्व0 खींयाराम (जाति जाट, निवासी नेवरा गांव, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर **प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट** 2. हिमताराम पुत्र सोनाराम 3. ओमाराम पुत्र सोनाराम 4. दुर्गाराम पुत्र सोनाराम 5. तेजाराम पुत्र शेराराम 6. जगदीश पुत्र शेराराम (जाति जाट, निवासी नेवरा गांव, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी ओसियां राजस्व मुकदमा संख्या 117/2019 दिनांक 12.04.2019

उपस्थित–
1. श्री सुगनमल परिहार वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से
3. श्री नरपत चौधरी वकील प्रफोर्मा रेस्पो0सं0 2

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान ग्राम नेवरा के रिकार्ड/खसरा नम्बरों के दुरूस्ती प्रस्ताव में अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव पर राजस्व मुकदमा सं0 117/2019 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–तहसीलदार ओसिया द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य व वन टू वन मेपिंग कार्य के मध्यनजर मौका

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्थिति व रेकर्ड अनुसार रेकर्ड/खसरा नम्बर दुरूस्ती के प्रस्ताव तैयार कर सूची अनुसार निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी ओसियां को भिजवाया गया। जिसमें क0सं0 1 पर अपीलांट के खसरा नम्बर 1235/2 रकबा 15 बीघा का ख0नं0 1235/2 रकबा 11.10 बीघा एवं ख0नं0 1235/8 रकबा 3.10 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि आदेश कमांकः राज/467 दिनांक 29.5.19 द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रस्ताव अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की कयसुदा भूमि खसरा नं0 1235/2 रकबा 15 बीघा एक ही चक के रूप में स्थित है, क्योंकि उक्त भूमि पूर्व के खातेदार से एक ही बेचान से कय की थी। इस 15 बीघा भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से 2 टुकडों में बांट दिया गया। अपीलाधीन आदेश में मनमाने ढंग से यह लिख दिया गया कि सह–काश्तकार सहमत है, जबकि किसी सह–खातेदार की सहमति पत्रावली पर नही है और न ही अपीलांट्स अथवा सह–खातेदार को नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से नक्शें में तरमीम का आदेश दिया है, ऐसा आदेश विभाजन के वाद में समक्ष न्यायालय की डिक्री के तहत ही दिया जा सकता है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत खातेदार–खींयाराम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो चलने योग्य नही था। इस मामले में धारा 131 आरएलआर एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है, क्योंकि राजस्व नक्शें में कोई त्रुटी होना नही पाया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शों में भिन्नता आ रही थी यथा (एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है, जबकि जमाबंदी में एक ही बट्टा नम्बर डाला हुआ है, विभाजन से प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नं0 से भिन्न खसरा नम्बर पर कब्जा है) उन खातों तथा खसरा नम्बरों को सही करने हेतु दुरूस्ती प्रस्ताव भिजवाया गया। प्रस्ताव के संलग्न लट्ठा/नजरी नक्शा एवं प्रस्तावित नक्शें व रेकर्ड की सत्यप्रति भिजवायी गई। तहसीलदार ओसिया द्वारा उक्त प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जो उचित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का विरोध करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव के क.सं. 2 पर रेस्पो0–हिम्मतराम वगैरा के खसरा नं0 1235/3 रकबा 15 बीघा भूमि को भी अपीलाधीन आदेश द्वारा 2 टुकड़ों में यथा ख0नं0 1235/3 रकबा 11 बीघा एवं ख0नं0 1235/7 रकबा 4 बीघा में विभाजित कर दिया गया है तथा इन खसरों की अपीलांट्स के खसरों की भांति ही भिन्न–भिन्न स्थानों पर प्रस्तावित नक्शें में तरमीम दर्शायी गई है, जो मौका स्थिति अनुसार सही नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकीं अपीलांट का कथन है कि अपीलार्थी की कयसुदा भूमि ग्राम नेवरा के खसरा नं0 1235/2 रकबा 15 बीघा एक ही चक के रूप में स्थित है, क्योंकि उक्त भूमि पूर्व के खातेदार से एक ही बेचान से क्रय की थी। इस 15 बीघा भूमि को अपीलाधीन आदेश द्वारा 2 टुकडों में बांट दिया गया व आदेश में सह–खातेदार सहमत होने का उल्लेख है, जबकि किसी सह–खातेदार की सहमति पत्रावली पर उपलब्ध नही है और न ही अपीलांट अथवा सह–खातेदार को नोटिस जारी किया गया हैं

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता का कथन है कि तहसीलदार ओसियां के प्रस्ताव के क्र.सं. 2 पर रेस्पो0–हिम्मतराम वगैरा के खसरा नं0 1235/3 रकबा 15 बीघा भूमि को भी अपीलाधीन आदेश द्वारा 2 टुकड़ों में यथा ख0नं0 1235/3 रकबा 11 बीघा एवं ख0नं0 1235/7 रकबा 4 बीघा में विभाजित कर दिया गया है तथा इन खसरों की अपीलांट्स के खसरों की भांति ही भिन्न–भिन्न स्थानों पर प्रस्तावित नक्शें में तरमीम दर्शायी गई है, जो मौका स्थिति अनुसार सही नही है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के उक्त कथन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.19 मृत व्यक्ति–खींयाराम के नाम पारित किया गया है, जबकि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के अनुसार खीयाराम की मृत्यु की तिथि 15.10.2012 है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश किसी सूरत में विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व मुकदमा नं0 117/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2019 एवं तहसीलदार ओसियां द्वारा दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि के आदेश कमांकः राज/467 दिनांक 29.5.19 निरस्त किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 01 **अक्टूबर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर